26/7/24

फर्द अहका

शीतल बनाम कजोड़

मुकदमा ACM आमेर मु. जयपुर
350/2018 (दावा)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
20/6/2024	पत्र........ दिनांक 20/6/24 को पेश हुई। .... आज अवकाश .... अनुसार दिनांक 12/7/2024 .... हो।
12/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की प्रा०पत्र धारा-151 सपठित अनुच्छेद 12 परिसीमा अधि. 1963 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते ~~बहस~~ आदेश प्रा०पत्र हेतु दिनांक 26/7/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
26/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी उप०। वाद पत्र उपशमित होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

यमित वाद संख्या 330/2008 वाद प्रस्तुति दिनांक : 21.01.2008

छितर बनाम कजोड़ वगै0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 151 जा0 दी0 संपठित अनुच्छेद 120 परिसीमा अधिनियम 1963

निर्णय दिनांक 26.07.2024

हस्तगत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 3 हनुमान पुत्र काना का देहांत दिनांक 24.04.2020 को हो चुका है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 छोटू पुत्र काना का स्वर्गवास दिनांक 19.09.2019 को हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 5 नाथी पत्नी नारायण का स्वर्गवास दिनांक 22.11.2016 को हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 7 शोभा पुत्र नारायण है जिसका स्वर्गवास भी दिनांक 13.05.2010 को हो चुका है। प्रतिवादीगण के फौत होने की सूचना दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय हाजा को दी जा चुकी है जिसका जवाब वादी ने अपनी ओर से दिनांक 23.06.2022 को दिया जा चुका है जिस पर प्रार्थी को निर्देश दिये गये है कि न्यायालय में मृतक के वारिसान एवं मृत्यु की दिनांक की सूची पेश करे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव के निवासी है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 7 की ओर से प्रार्थी के अधिवक्ता भी नहीं रहे हैं। वादीगण का यह दायित्व है कि वह स्वयं मृतकों की तिथि व वारिसान के लिए आदेश 22 नियम 4 व 9 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करे बतौर मास्टर ऑफ सूट वादीगण को होने तथा प्रकरण सिविल प्रकृति को होने से प्रतिवादीगण को वादी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय RBJ 2010 Page में प्रतिपादित किया है *Order 22 Rule 9 - When after the death of appellant plantiff no application was filled for bringing the LR's of the appellant on record delay is of 778 days abetment is automatic and no specific order required.* इसी प्रकार 2017 RBJ 386 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है *Order 22 rule 3 & 4 section 100 - Abetment of appeal-Appeal abates automatically on expiry of 90 days from the death if LR's are not submitted.*

अतः प्रार्थना पत्र मय न्यायिक निर्णय की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त संपूर्ण वाद को अबेट कर मय हर्जा–खर्चा वाद खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर
आमेर म. जयपुर

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी संपठित अनुच्छेद 120 परिसीमा अधिनियम 1963 में पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव के निवासी है लेकिन प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 7 एक ही परिवार के सदस्य है। इसलिए प्रार्थीगण का यह दायित्व बनता है कि वह मृतकों की वारिसान की सूची एवं मृत्यु की दिनांक माननीय न्यायालय में पेश करें। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को मृतक के वारिसान एवं मृत्यु की दिनांक की सूची पेश करने के आदेश दिये गये है तो प्रार्थी का यह दायित्व बनता है कि वह माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए मृतक वारिसानों की सूची एवं मृत्यु की दिनांक की सूची माननीय न्यायालय मे पेश करें। प्रार्थना की मद संख्या 7 का जवाब आवश्यक नहीं है यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एवं मृतक एक ही परिवार के सदस्य है एवं मृतक के वारिसान की जानकारी प्रार्थी को रही है। दोनों पक्षों का यह दायित्व होता है कि वो न्यायालय में न्यायाधीश का न्याय के लिए पूर्ण सहयोग करें। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को मृतक के वारिसान एवं मृत्यु के दिनांक की सूची पेश करने के जो आदेश दिये गये है। प्रार्थी न्यायालय के आदेश की पालना करे जिससे उत्तरदाता मृतक के वारिसान को पक्षकार बना सके। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उत्तरदाता का जवाब रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थी से मृतक के वारिसान एवं मृत्यु की दिनांक की सूची पेश करने के आदेश फरमाये।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस सुनी गई। जिन्होंने उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है। हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस व न्यायिक दृष्टान्तो पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 3 हनुमान पुत्र काना का देहांत दिनांक 24.04.2020 को हो चुका है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 छोटू पुत्र काना का स्वर्गवास दिनांक 19.09.2019 को हो चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 5 नाथी पत्नी नारायण का स्वर्गवास दिनांक 22.11.2016 को हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 7 शोभा पुत्र नारायण है जिसका स्वर्गवास भी दिनांक 13.05.2010 को हो चुका है। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव के निवासी है तो ऐसा नहीं हो सकता की प्रतिवादीगण की मृत्यु की जानकारी वादीगण को नहीं रही हो अर्थात वादीगण ने न्यायालय को गुमराह करते डालकर वारीसान की जानकारी नही होना जाहिर कर प्रतिवादीगण पर ही भार डाला गया जोकि उचित नही है।

अतिरिक्त कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 5, 7, की मृत्यु क्रमशं दिनांक 24.04.2020, 19.09.2019, 22.11.2016, 13.05.2010 को हो गई थी तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 ,4 5, 7 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने व अबेटमेण्ट को निरस्त करने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । प्रार्थी ने देरी के लिए कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है । प्रतिवादी संख्या 3 ,4 5, 7 की मृत्यु पर निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र पेश ना होने पर वाद स्वतः उपशमित हो गया है। वादीगण ने पूर्ण जानकारी के उपरान्त भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही प्रतिवादीगण की आपत्ति का खण्डन भी वादीगण द्वारा नहीं किया है। जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है वहां आवेदन को गुणावगुण पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। देरी के कारण संतोषप्रद ना होने से वाद को स्वतः अबेट हुआ मानना आवश्यक है। यह कानून का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि सारभूत न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में किसी दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वाद के उपशमन होने के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी पक्ष के हित में कानूनी बिन्दू सृजित हो गया है। जिसे सरसरी तौर पर या विधिक प्रावधानों के विपरित उससे नहीं छीना जाना चाहिए। इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा आदेश 22 नियम 4 व 9 का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने से वाद स्वतः उपशमित हो गया है। तथा जैसा कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त 2010 (2) RRT 1437, 2017 (1) RRT 117, 2019 RPJ - 61 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यदि वाद का उपशमन प्रतिवादी के विरूद्व ही माना जाता है तो प्रतिवादी के वारिसो के रिकॉर्ड पर ना आने से सहस्वामित्व की विरोधाभासी डिक्रीया पारित होने की संभावना है। अतः सम्पूर्ण वाद अबेट होने योग्य है। ऐसी परिस्थितियो में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के प्रकाश में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गंभीर लापरवाही तथा वैद्यानिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये वाद का उपशमन हो जाने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर